प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या - 1615/नौ-6-2009-4(15)/2009

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2009

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में वित्त वेतन समिति उ0प्र0 2008 द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अपने द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-I में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा निवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0ए0/14/09/स्था0नि0/2009, दिनांक 11 जून, 2009 में प्राप्त कराई गयी आख्या तथा केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में वित्त वेतन समिति उ0 प्र0 2008 द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अपने द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-I में पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा अन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के ऐसे पेंशनर/कार्मिक जिन्हें पेंशन की सुविधा राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, हेतु पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो प्रक्रिया राजकीय पेंशनरों/कार्मिकों के संबंध में अपनायी गयी है । साथ ही ऐसे अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जाय । ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्तमान में राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा देय नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के अकेन्द्रीयित सेवा के सेवा निवृत्त कर्मचारी, जो वर्तमान में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति पेंशन की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहें हैं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्तिक लाभ विनियमावली-1984 यथा संशोधित 2006 एवं 2007 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर रहें है, की पेंशन का पुनरीक्षण उपरितंदर्भित विनियमावली के उपबन्धों

.../2-

के दृष्टिगत किया जाये तथा स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के केन्द्रीयित / अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों को पेंशन में वही महंगाई भत्ता की दर से लागू की जाय जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में वित्त वेतन समिति उ0प्र0 2008 द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिये महंगाई की दरें संस्तुत की गयी हैं ।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी ।
3- उ0प्र0 के समस्त नगर निगमों के नगर आयुक्त/सचिव ।
4- महाप्रबन्धक समस्त जल संस्थान उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7- वित्त (वे0आ0) अनुभाग-2, दस प्रतियां सहित ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
10- नगर विकास सचिव प्रकाश के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(के0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।